सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वशिष लोक अदालत का आयोजन

स्रोत: द हिंदू

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी 75वीं वर्षगाँठ (हीरक जयंती) के उपलक्ष्य में लंबे समय से लंबित विवादों को हल करने के लिये **एक सप्ताह तक चलने वाला वशिष लोक अदालत अभियान शुरू किया है।**

- इस पहल का उद्देश्य **लंबित मामलों से निपटना और त्वरित न्याय** प्रदान करना है।
- इस पहल में सर्वोच्च न्यायालय की पहली सात पीठें शामिल हैं, जिसमें मुख्य न्यायाधीश पाँच सदस्यीय पैनल का नेतृत्व करते हैं, जिसमें प्रमुख न्यायाधीश और कानूनी पेशेवर शामिल हैं।
- **कवर किये गए मामले:** इसमें वैवाहिक विवाद, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण, मुआवज़ा और सेवा एवं श्रम मुद्दे शामिल हैं।
  - लंबित मामलों वाले नागरिकों को सौहार्दपूर्ण और त्वरित समाधान के लिये भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।
- इस अभियान में विवाद समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिये एक **अनौपचारिक, प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान** का उपयोग किया जाता है, जिससे यह प्रक्रिया जनता के लिये अधिक सुलभ और कुशल हो जाती है।
- लोक अदालत **गांधीवादी सिद्धांतों** पर आधारित अनौपचारिक, स्वैच्छिक और सुलहनीय विवाद समाधान मंच हैं, जिन्हें **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** के तहत वैधानिक समर्थन प्राप्त है।
  - यह वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रणाली का एक घटक है जो आम लोगों को **अनौपचारिक, सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करता है।**

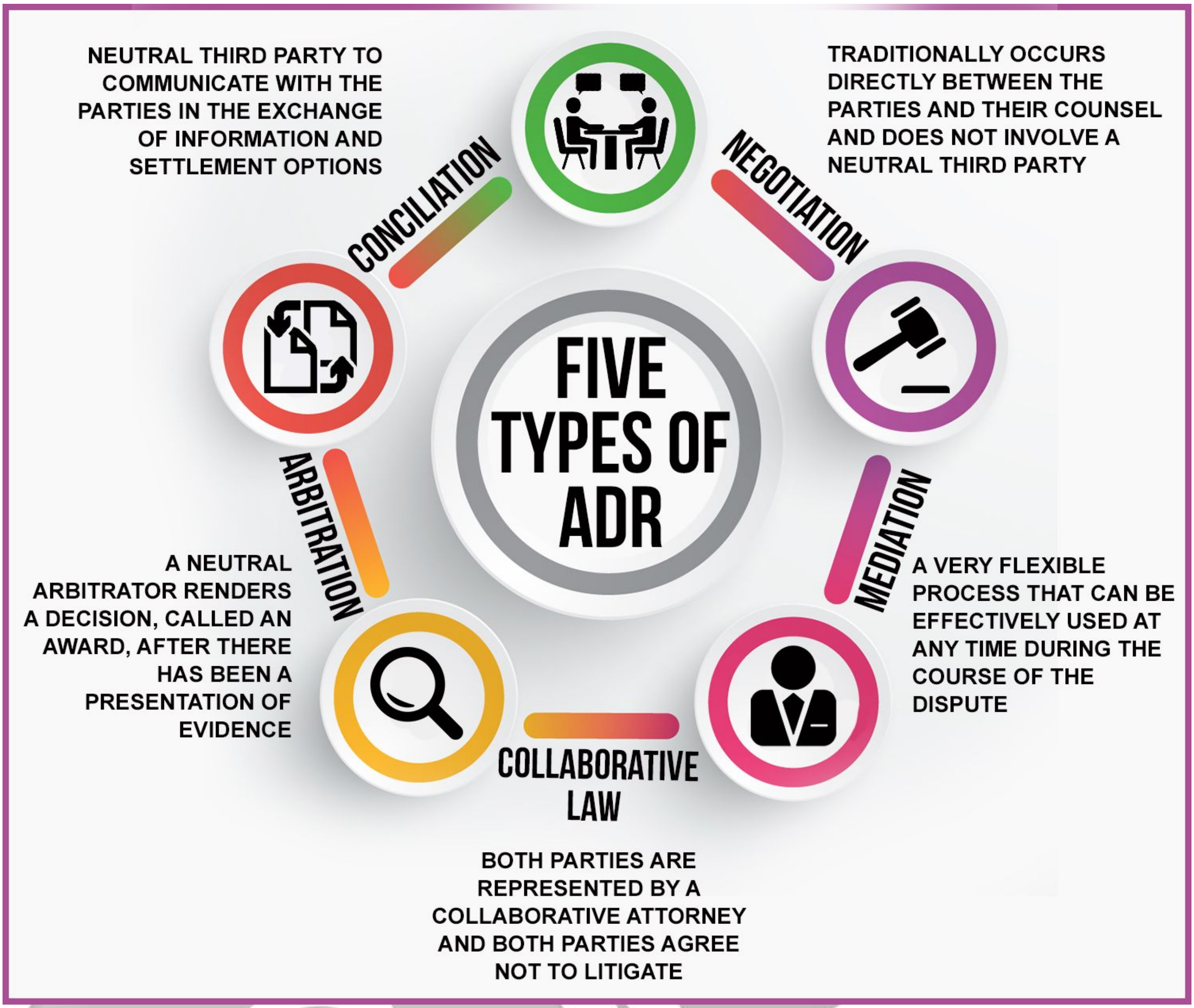

//

और पढ़ें: सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयंती